छत्तीसगढ़ विधानसभा
पत्रक भाग-एक
संक्षिप्त कार्य विवरण
शुक्रवार, दिनांक 11 मार्च, 2011
(फाल्गुन-20, शक संवत् 1932)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.03 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01, 03, 04, 05, 07, 08, 09 (कुल 07) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिये गए।

माननीय अध्यक्ष द्वारा प्रश्न संख्या 03 के प्रश्नकर्ता सदस्य श्री नंदकुमार पटेल, का नाम पुकारे जाने पर श्री नंदकुमार पटेल, सदस्य ने कथन किया कि विधायक दल के निर्णय के कारण वे माननीय मंत्री से कोई प्रश्न नहीं पूछेंगे।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, संसदीय कार्य मंत्री ने नेता प्रतिपक्ष से आग्रह किया कि प्रतिपक्ष का एक प्रतीकात्मक विरोध था, जो दर्ज हो चुका है। संसदीय परंपराओं का पालन करते हुए प्रश्न पूछें तो विधान सभा की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। उन्होंने प्रतिपक्ष के सदस्यों से प्रश्न पूछने का आग्रह किया।

श्री धर्मजीत सिंह द्वारा पूर्व के कुछ अवसरों का उल्लेख करते हुए गांधीवादी तरीके से बहिष्कार किए जाने संबंधी कथन किया।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रतिपक्ष के सदस्यों से प्रश्न पूछने का आग्रह किया।

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि -

माननीय सदस्य श्री धर्मजीत सिंह ने जो उल्लेख इस सदन में किया है जो पूर्व में टिप्पणी हुई, उसमें जो खेद व्यक्त किया गया, किंतु इस कार्यवाही के दौरान जो भी बातें दोनों पक्षों की ओर से आने के बाद मैंने उस दिन कहा था कि इस संदर्भ में व्यवस्था दूंगा। मैंने कार्यवाही को देखा और उसको पढ़कर सुनाया। न तो माननीय नंदकुमार जी की ओर से और न ही माननीय राजेश मूणत जी की ओर से, कार्यवाही के दौरान असंसदीय शब्द का प्रयोग कार्यवाही में किया गया था। इसके कारण आसंदी के द्वारा जो व्यवस्था दी गई थी कि भविष्य में इस बात का सभी माननीय सदस्य इस बात का ध्यान रखे कि हम अपनी बातों को गरिमामयपूर्ण ढंग से रखें और बात करते हुए भाव-भंगिमा से, हमारी बातें किसी सदस्य को, उनके मन में किसी प्रकार से चोट न पहुंचे, इस बात का प्रयास करें।

इस विधान सभा की उच्च संसदीय परंपरा रही है, उस परंपरा का माननीय सदस्य निर्वाह करते हुए आ रहे हैं। मैं पुनः आप लोगों से आग्रह करना चाहता हूं कि सभा ने हमेशा ही उच्च संसदीय परंपराओं को स्थापित किया हैऔर सदस्यों ने हमेशा इस सभा की गरिमा को बनाये रखा है।

यह मामला उसी दिन समाप्त हो गया था। मैंने व्यवस्था भी दी थी। मैं कक्ष में हुई बातों का यहां उल्लेख नहीं करना चाहता। लेकिन मेरा अनुरोध है कि अब आगे कार्यवाही नियमानुसार चलाने में सहयोग करें।

किस सदस्य की क्या भाव-भंगिमा थी यह भी नहीं कहना चाहता और सभी सदस्यों की ओर से मैं माफी मांग लेता हूं। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि सभा की कार्यवाही को आगे बढ़ायें।

श्री रविन्द्र चौबे, नेता प्रतिपक्ष द्वारा आसंदी से दी गई व्यवस्था को स्वीकार करने एवं इस मामले का पटाक्षेप करने का कथन किया गया एवं श्री नंदकुमार पटेल, सदस्य से प्रश्न पूछने का आग्रह किया।

प्रश्न संख्या 02 एवं 06 के प्रश्नकर्त्ता सदस्य श्री रूद्रकुमार गुरु एवं डॉ.शक्राजीत नायक अनुपस्थित रहे।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 10 तारांकित एवं 21 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

2. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) श्री सौरभ सिंह, सदस्य ने जांजगीर-चांपा के बलौदा विकासखण्ड अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता एवं सहायिका के मानदेय भुगतान में अनियमितता की ओर महिला एवं बाल विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

सुश्री लता उसेंडी, महिला एवं बाल विकास मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) श्री अमितेष शुक्ल, सदस्य ने आदिम जाति कल्याण छात्रावास में अनाचार के दोषी चौकीदार के विरूद्ध कार्यवाही नहीं किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री विजय बघेल, संसदीय सचिव ने इस पर वक्तव्य दिया।

3. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार निम्नलिखित सदस्यों की नियम 267-क की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गईं :-

(1) श्री रूद्रकुमार गुरु

(2) श्री सौरभ सिंह

(3) श्री दूजराम बौद्ध

(4) श्री नंदकुमार पटेल

(5) श्री मोहम्मद अकबर

4. याचिकाओं की प्रस्तुति

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार निम्नलिखित सदस्यों की याचिकाएं पढ़ी हुई मानी गईं :-

(1) श्री विरेन्द्र कुमार साहू

(2) श्री अग्नि चंद्राकर

(3) श्रीमती सरोजा मनहरण राठौर

(4) श्रीमती कुमारी मदन साहू

(5) डॉ. (श्रीमती) रेणु जोगी

(6) श्री धर्मजीत सिंह

5. वर्ष 2011-2012 की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमशः)

श्री रामविचार नेताम, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या 30, त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता से संबंधित मांग संख्या 80, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाओं से संबंधित मांग संख्या 59 एवं न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन से संबंधित मांग संख्या 29 प्रस्तुत की।

मांग संख्या 30 पर सर्वश्री रविन्द्र चौबे, अग्नि चंद्राकर, ताम्रध्वज साहू, लेखराम साहू, (डॉ.) हरिदास भारद्वाज, भोलाराम साहू, दूजराम बौद्ध, रामपुकार सिंह **मांग संख्या 80 पर** डॉ.हरिदास भारद्वाज **मांग संख्या 59 पर** डॉ.हरिदास भारद्वाज **मांग संख्या 29 पर** डॉ.हरिदास भारद्वाज, सदस्य के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए।

श्री परेश बागबाहरा, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री नारायण चंदेल) पीठासीन हुए।)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

श्री विरेन्द्र कुमार साहू, डॉ.शक्राजीत नायक, (श्री बैदूराम कश्यप-अनुपस्थित), श्री ब्रम्हानंद,

(सभापति महोदय (डॉ.हरिदास भारद्वाज) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री धर्मजीत सिंह, देवजी पटेल, भजन सिंह निरंकारी, भीमा मंडावी,

(सभापति महोदय (श्री देवजी पटेल) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री भोलाराम साहू, जगेश्वर राम भगत, (श्री अमरजीत भगत-अनुपस्थित), श्रीमती अंबिका मरकाम, श्री खेदूराम साहू, (श्री महंत रामसुंदर दास-अनुपस्थित), श्री शिवराज सिंह उसारे, (श्री संतोष बाफना-अनुपस्थित), सर्वश्री सेवकराम नेताम, ह्दयराम राठिया, श्रीमती सुमित्रा मारकोले, डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम,

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री नारायण चंदेल) पीठासीन हुए।)

श्री नंदकुमार साहू, डॉ.हरिदास भारद्वाज, श्री राजू सिंह ठाकुर, श्रीमती पद्मा घनश्याम मनहर, श्रीमती नीलिमा सिंह टेकाम, श्री सौरभ सिंह, श्रीमती लक्ष्मी बघेल, सर्वश्री दूजराम बौद्ध, अग्नि चंद्राकर।

श्री रामविचार नेताम, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने चर्चा का उत्तर देना प्रारंभ किया।

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

(माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से कार्यसूची में दर्ज अशासकीय कार्य पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की।)

श्री रामविचार नेताम, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि आज की कार्यसूची के पद क्रमांक 4(2) का कार्य आगामी कार्य दिवस के लिए स्थगित किया जाता है। अब अशासकीय कार्य होगा। अशासकीय संकल्प के क्रम को परिवर्तित करते हुए मैं क्रम सूची प्रथम पर क्रमांक 3 पर अंकित सदस्य का अशासकीय संकल्प लूंगा।

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।

6. अशासकीय संकल्प

(1) सदन का यह मत है कि "प्रदेश में पॉलिथीन थैलियों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया जाय।"

श्री अग्नि चंद्राकर, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

संकल्प प्रस्तुत हुआ।

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री नारायण चंदेल) पीठासीन हुए।)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया:-

श्री राजू सिंह ठाकुर, डॉ.हरिदास भारद्वाज, श्री सौरभ सिंह।

श्री राजेश मूणत, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया तथा संकल्प में संशोधन प्रस्तावित किया कि संकल्प में वाक्यांश "प्रतिबंध लगाया जाय" के पूर्व वाक्यांश "चरणबद्ध रूप से" वाक्यांश जोड़ा जाय।

श्री अग्नि चंद्राकर, सदस्य ने इस हेतु सहमति व्यक्त की। तद्नुसार "प्रदेश में पॉलिथीन थैलियों के उपयोग पर चरणबद्ध रूप से प्रतिबंध लगाया जाय।"

यथासंशोधित संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

(2) यह सदन केन्द्र सरकार से अनुरोध करता है कि "प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना छत्तीसगढ़ राज्य में लागू की जाय।"

श्री सौरभ सिंह, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

संकल्प प्रस्तुत हुआ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लियाः-

सर्वश्री विरेन्द्र कुमार साहू, (डॉ.) हरिदास भारद्वाज, श्रीमती पद्मा घनश्याम मनहर।

श्री रामविचार नेताम, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

(3) यह सदन केन्द्र सरकार से अनुरोध करता है कि " कैम्पा (CAMPA) के अंतर्गत वनक्षेत्र में स्टापडेम के निर्माण का भी प्रावधान किया जाय। "

श्री फूलचंद सिंह, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

संकल्प प्रस्तुत हुआ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया:-

श्री दीपक कुमार पटेल, श्रीमती अंबिका मरकाम, श्री सौरभ सिंह।

श्री विक्रम उसेंडी, वन मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

रात्रि 7.02 बजे विधान सभा की कार्यवाही सोमवार, दिनाँक 14 मार्च, 2011 (फाल्गुन 23, शक संवत् 1932) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

देवेन्द्र वर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा